फर्द अहकाम

नृसिंह लाल बनाम पांचूराम

नाम न्यायालय

केस संख्या 49/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/11/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन [illegible] कार्य में व्यस्त है। [illegible] अनुसार दिनांक 11/12/24 को पेश हो।
	11/12/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन [illegible] अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/1/25 को पेश हो।
	2/1/25 2.1.25 वकील प्रार्थी	पत्रावली पेश है। प्रार्थी व्यक्तिगत एवाद में प्रार्थना किये जाने से आ [illegible] व एवाद के निस्तारण तक [illegible] की जा चुकी है। [illegible] अवमानना प्रार्थना पत्र की कार्यवाही इसी स्टाफ पर तारीख की जाती है। इसी पत्रावली पीठासीन महोदय [illegible] पत्रावली [illegible] एवाद [illegible] हो जाने पर [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अधिवक्ता प्रार्थी श्री गजराज सिंह नरेश किया

14/6/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्याः– 49 / 2023

नृसिंह लाल पुत्र श्री कजोड जाति माली उम्र 70 वर्ष, निवासी दादा बाडी के पास, स्टेशन रोड, सांगानेर, जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. पांचुराम पुत्र कजोड जाति माली निवासी स्टेशन रोड, दादाबाडी के पास, सांगानेर, जयपुर।
2. श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना मालपुरा गेट जरिये थानाधिकारी।

.....अप्रार्थीगण

अवमानना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत उनवानी वाद

नृसिंह लाल बनाम रमेश चन्द वर्गे.

श्रीमान्जी,

प्रार्थी कि ओर से अवमानना याचिका सविनय निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

1. यह कि प्रार्थी के द्वारा माननीय न्यायलय के समक्ष एक दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रार्थना पत्र बाबत

सुडवाल